

प्रपत्र-30.2

परियोजना का नाम :- जनपद रिहरी के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत आमनी से गड़ाकोटे तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) लम्बाई 8.0 कि.मी

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कीर्तिनगर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कीर्तिनगर

उपखण्ड कीर्तिनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत आमनी से गड़ाकोटे तक मोटर मार्ग (प्रथम चरण) (0.675 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.954 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.629 हे० वन भूमि) का लोप निषिद्ध कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देवप्रयाग) की दिनांक 12/8/16 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री के.के. मिश्र, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	श्री के.के. मिश्र	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	श्री डी.पी. बल्लोनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3-	श्री विनोद कुमार उन्मय	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य सचिव
4-	श्रीमती कंचन पोद्दार	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य कंचन पोद्दार

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि आमनी से गड़ाकोटे तक मोटर मार्ग निर्माण परियोजना हेतु हे० वन भूमि लोप निषिद्ध कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मांगला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, मुनिरीरती नरेन्द्र बाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कीर्तिनागर परिक्षेत्र के अन्तर्गत झापाठी से गडाकोट तक मोर माा (प्रधान चौरा) परियोजना के निर्माण हेतु हे0 वन भूमि लोचनिगविष कीर्तिनागर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

18/12/2014
उप जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- देव प्रयाग
जनपद टिहरी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

18/12/2014
उप जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी/अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- देव प्रयाग
जनपद टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र देव प्रयाग के अन्तर्गत आबवाही से गढ़ाकोट तक मोटे मार्ग निर्माण (प्रथम चरण) लम्बाई 8.00 कि.मी.

दिनांक 12.8.2016 को उप खण्ड समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
जनपद टिहरी गढ़वाल

1	श्री के.के. मिश्र कुलधर कुमार मिश्र	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	+ उप जिलाधिकारी
2	श्री.जी. वल्लोनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	कीर्तिनगर, दि. 8.
3	विनोद कुमार उन्नीष	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव	मि. फा. 16
4	श्रीमती कंचन चौहान	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य	कंचन चौहान

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देवप्रयाग)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

प्रपत्र-23 30.3
परियोजना का नाम :- जनपद दिहरी के विधानसभा क्षेत्र केन्द्रधाना के अन्तर्गत आमनी से गड़ानोह तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रथम चरण) लम्बाई 8.00 कि.मी.

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
ग्राम पंचायत का नाम आमनी
तहसील देवप्रयाग, जिला दिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद दिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत आमनी से गड़ानोह तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.675 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.954 हे० सिविल सोयम भूमि, हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.629 हे० वन भूमि का लो० नि० वि० कीर्तिनगर विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत आमनी द्वारा दिनांक 15-06-2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। • उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम आमनी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० नि० वि० कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/.....
ग्राम सचिव



नोट :- • यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-20. 30. 4

दिनांक 15-06-2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत आमनी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	शशि प्रकाश मठ	Shashi
	डादिका मल्ल	DP
	चित्तमणी	Chitmani
	रामस्वरूप मठ	Ramswarup
	कोसन लाल	Koson Lal
	गगदम्बा प्रसाद मठ	Gagadamba
	शिवानन्द मठ	Shivannand
	दिवाकर प्रसाद मठ	Divakar
	लीला देवी	Lila Devi
	हरशिवानन्द	Harshivannand
	सुन्दर लाल	Sunder Lal
	वारेन्द्र मठ	Varinder
	अरुण मठ	Arun
	जितेन्द्र प्रसाद मठ	Jitendra
	शिवप्रसाद मठ	Shivprasad
	हारिभ यन्त्र	Haribh
	शकुन्तला देवी	Shakuntala Devi
	गुडिचल्लाम	Goodichallam
	दुर्गा प्रसाद मठ	Durga
	राजेंद्र प्रसाद मठ	Rajendra
	चन्दा मठ	Chanda
	रिवला देवी	Rivla Devi
	विजय लक्ष्मी	Vijay Lakshmi
	शक्ति प्रसाद मठ	Shakti

ह0/-
ग्राम प्रधान
ह0
दिनांक 15-06-2016
वि070 देवप्रयाग दिहरी मण्डल